

—प्रेस नोट—
जनपद मीरजापुर ।

दिनांक: 17.06.2022

थाना अहरौरा व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा डीसीएम में लदी 175 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब(अनुमानित कीमत ₹ 25 लाख) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अजय कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन अजय कुमार राय के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.06.2022 को थाना अहरौरा व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा डीसीएम में लदी 175 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 16.06.2022 को थानाध्यक्ष अहरौरा संजय कुमार सिंह व आबकारी निरीक्षक कुंवर विशाल भारती क्षेत्र- II चुनार मय टीम क्षेत्र की देखभाल व गश्त/चेकिंग में मामू थे कि इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चितविश्राम तिराहे की तरफ से एक डीसीएम आ रही है जिसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब लदी हुई है । उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग कर दैत्री बाबा मंदिर, पावर हाउस अहरौरा खासडीह के पास से डीसीएम सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया । पूछताछ में जिनके द्वारा अपना नाम पता 1-रवि कुमार पुत्र रोहतास निवासी ग्राम खरखोदा थाना खरखोदा जनपद सोनीपत हरियाणा , 2-दीपक पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम असरफपुर मटेन्डू थाना खरखोदा जनपद सोनीपत हरियाणा बताते हुए वाहन में अंग्रेजी अवैध शराब लदा होना बताया गया । पुलिस व आबकारी टीम द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में लदी कुल 175 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब ऑफिसर्स च्वाइस ब्लू फॉर सेल इन हरियाणा अंकित होना पाया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से वाहन डीसीएम में प्रयोग किया जाने वाला 02 अदद फर्जी नम्बर प्लेट सहित अन्य ट्रासपोर्ट , बीमा इत्यादि के कागजात बरामद हुए । अवैध शराब एवं बरामद नम्बर प्लेट सहित अन्य कागजात के सम्बन्ध में पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे शराब को बवाना उत्तरी दिल्ली से लेकर कलकत्ता जा रहे थे जैसे ही अदलहाट मीरजापुर पहुंचे कि उनके मालिक द्वारा फोन पर बताया गया कि शराब को लेकर कलकत्ता नहीं जाना, अब पटना बिहार लेकर जाना है, वही जा रहे थे कि पकड़ गये । बरामद वाहन के नम्बर प्लेट व अन्य कागजात के बारे में बताया गया कि बिल दूसरे सामान की बनावट कर अवैध अंग्रेजी शराब लादकर परिवहन करते है तथा प्रान्त के अनुसार कूट रचित नम्बर प्लेट का इस्तेमाल करते है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु 0अ0सं0-104/2022 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272/419/420/467/468/469/471 भादवि बनाम दीपक पुत्र रघुवीर सहित 03 नफर पंजीकृत किया गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1-रवि कुमार पुत्र रोहतास निवासी ग्राम खरखोदा थाना खरखोदा जनपद सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 22 वर्ष ।

2-दीपक पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम असरफपुर मटेन्डू थाना खरखोदा जनपद सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 38 वर्ष ।

विवरण बरामदगी—

- 1- वाहन डीसीएम BR 10 G 6905 .
- 2- 175 पेटी अंग्रेजी शराब (35 पेटी 750ml, 70 पेटी 375ml, 70 पेटी 180 ml).
- 3- 02 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट व 04 वाहन की आरसी सहित अन्य कागजात ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

दैत्री बाबा मंदिर, पावर हाउस अहरौरा खासडीह के पास से, दिनांक 16.06.2022 को समय 19.20 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम—

- 1-उ0नि0 संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष अहरौरा, मीरजापुर ।
- 2-आबकारी निरीक्षक कुंवर विशाल भारती क्षेत्र-II चुनार, मीरजापुर ।
- 3-उ0नि0 श्यामलाल, हे0का0 अनूप सिंह, हे0का0 सचिन मौर्या, हे0का0 सुशील सिंह, हे0का0 रवीन्द्र प्रताप सिंह, का0 मनोज कुमार, का0 सुधाकर खरवार, म0का0 रेखा यादव थाना अहरौरा, मीरजापुर ।
- 4-हे0का0 रामआशीष यादव प्रवर्तन मीरजापुर ।

